अपील सूचना अधिकार संख्या 09/2021 (GCMS 2021/14) गोविन्द नारायण पुत्र विश्वनाथ किराडू निवासी कोठारी, अस्पताल के सामने, हरिओम मेडिकल स्टोर के पीछे, बीकानेर (48F-468947) <u>बनाम</u> तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>22.03.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्द नारायण उपस्थित नहीं है। मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीदार (राजस्व), अनूपगढ़ से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.2020 के द्वारा दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी और जो उनके द्वारा उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर 250/— रूपये प्रतिदिन के हिसाब से अपील निर्णय तक क्षतिपूर्ति राशि उसे दिलाने, राजकीय अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं उसे वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

अपीलार्थी गोविन्दनारायण ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2020 को तहसीलदार, अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थी :

1. **मिशल बन्दोबस्त 2012 तहसील अनूपगढ ग्राम धान्धू में श्री रामचन्द्र पुत्र फरसाराम पुरोहित (ब्राह्मण) की छायाप्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमावें।**
2. **तहसील अनूपगढ ग्राम धान्धू सम्वत् 2013 कि ढालबाछ की छायाप्रति उपलब्ध कराने की व्यवस्था फरमावें।**

अपीलार्थी के आवेदन पत्र का सम्बन्ध तहसीलदार, घड़साना से होने के कारण तहसीलदार, अनूपगढ ने अपने पत्रांक भू.अ./2020/35 दिनांक 06.01.2021 से अपीलार्थी का आवेदन पत्र उन्हें भिजवाया है और तहसीलदार (भू.अ.), घड़साना ने अपने पत्रांक भू.अ./2021/305 दिनांक 25.01.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में मिशल बन्दोबस्त सम्वत् 2012 कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड में जांच करने पर नहीं मिली है। (कुछ रिकॉर्ड वर्ष 2004 में किसान आन्दोलन में हुई आगजनी में जल भी गया था) कार्यालय में उपलब्ध ग्राम धांधू का सम्वत् 2014–17 की जमाबन्दी में रामचन्द्र पुत्र फरसाराम पुरोहित (ब्राह्मण) के नाम से भूमि दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। सम्वत् 2013 की ढालबाछ में भी रामचन्द्र पुत्र फरसाराम पुरोहित (ब्राह्मण) का नाम दर्ज नहीं है। यदि आपको सम्वत् 2013 की ढालबाछ की प्रमाणित नकल प्राप्त करनी है तो कुल 207 प्रविष्टि है। नियमानुसार निर्धारित शुल्क भेजकर/जमा करवाकर नकल प्राप्त करें।

तहसीलदार (राजस्व)
घड़साना

उक्त के अतिरिक्त तहसीलदार घड़साना ने अपने पत्रांक विविध/सू.का.अ./2021/717 दिनांक 26.02.2021 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आप द्वारा चाही गई ढालबाछ की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न क भिजवाई जा रही है।

तहसीलदार (राजस्व)
घड़साना

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि तहसीलदार (राजस्व), घड़साना द्वारा उक्तानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति तहसीलदार अनूपगढ/घड़साना को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर